बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

सहायक अभियोजन पदाधिकारी (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं. 39/2009)

सहायक अभियोजन पदाधिकारी (प्रारम्भिक) प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं. 39/2009) हेतु पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में दिनांक 21.07.2012 को सम्पन्न (प्रारम्भिक) परीक्षा म सफल घोषित उम्मीदवारों की कुल संख्या 1514 है। इन 1514 उम्मीदवारों में सामान्य कोटि (01) के 771, अनुसूचित जाति (02) के 240, अनुसूचित जनजाति (03) के 15, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) के 262, पिछड़ा वर्ग (05) के 175 एवम् पिछड़े वर्ग की महिला (06) के 45 उम्मीदवार हैं जिनमें 10 विकलांग उम्मीदवार सन्निहित हैं। इसके अतिरिक्त 06 उम्मीदवारों को विकलांगता के आधार पर सफल घोषित किया गया है। आयोग उपर्युक्त सफल घोषित 1514 उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन आमंत्रित करता है।

मुख्य (लिखित) परीक्षा के आयोजन की अवधि के सम्बन्ध में अलग से सूचना दी जायेगी।

<u>चयन प्रक्रिया</u>

नियुक्ति हेतु चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

(अ) लिखित परीक्षा के निम्नांकित अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषय होंगे:–

<u>अनिवार्य विषय</u>

क्र. सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
1.	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	01	100
2.	प्रारंभिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science)	02	100
3.	सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं के साथ) (General Knowledge including current affairs)	03	150
4.	साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)	04	150

<u>वैकल्पिक विषय</u>

उम्मीदवारों को निम्नांकित तीन विषयों में से किन्हीं दो विषयों को चुनने की स्वतंत्रता होगी :–

क्र. सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
5.	भारत की संवैधानिक विधि (Constitutional Law of India)	05	150
6.	भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code)	06	150
7.	माइनर ऐक्ट्स (किताब सहित) (Minor Acts) (With Book)	07	150

सामान्य हिन्दी विषय में 30 अंक न्यूनतम योग्यता प्रदायी होगा जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यताप्राप्त नहीं माना जायेगा। सामान्य हिन्दी के प्राप्तांक की गणना मेधा सूची के प्रयोजनार्थ नहीं की जायेगी।

शेष पाँच विषयों (3 अनिवार्य एवं 2 वैकल्पिक) में समेकित रूप से सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चौंतीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवम् विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जैसा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 एवम् पत्रांक 6706 दिनांक 01.10.2008 द्वारा विहित है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

(ब) लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जायेगा।

(लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का जोड़कर बनी मेधा सूची एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के आधार पर परीक्षाफल तैयार किया जायगा।)

<u>पाठ्यक्रम स्तर</u> :

(क) सामान्य हिन्दी विषय का स्तर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा के लिए सामान्य हिन्दी के समकक्ष होगा।

एवं (ख) साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि सहित अन्य वैकल्पिक विषयों के प्रश्नों का स्तर वही होगा जो बिहार राज्य क विश्वविद्यालयों द्वारा विधि स्नातक परीक्षा के लिए विहित है।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

1. <u>प्रविष्टि</u>:

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर ही भेजें। **आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, टंकित, हस्तलिखित, मुद्रित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

(ii) **आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो, उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।**

(iii) आवेदन पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे

1. **आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय –** | स्नि | न | ग | धा | | |
2. **हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।**
3. **आवेदन की कंडिका 2(iii) यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।**
4. **आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें। पिछड़े वर्ग की महिला कोटि की उम्मीदवार बॉक्स में 06 लिखने के साथ–साथ अपनी मूल आरक्षण कोटि भी इस प्रकार भरें, यथा; जिनकी मूल आरक्षण कोटि 05 है, बॉक्स में 05, 06 भरें।**
5. **आवेदन की कंडिका 4(i) भाषेतर विषय का उत्तर किस विषय में देना चाहते हैं, में हिन्दी के लिए 1 भरें एवं अंग्रेजी के लिये 2 भरें।**
6. **आवेदन की कंडिका 4(ii) में ऊपर में दी गयी तालिका के अनुसार दो वैकल्पिक विषयों के कोड का उल्लेख करें।**

उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(v) **क्रमांक 9 ''शैक्षिक योग्यता'' के अधीन $\frac{\text{प्राप्तांक}}{\text{पूर्णांक}}$ एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।**

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 12 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vii) स्तम्भ (कॉलम) 13 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

2. <u>फोटोग्राफ</u>:

आवेदन पत्र के पृ. 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो प्रारम्भिक परीक्षा में प्रयुक्त फोटो के अनुरूप ही (एक ही निगेटिव से बना) होना चाहिए। अन्य एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है।

3. <u>लिफाफा</u>:

(i) लिफाफा के ऊपर **सहायक अभियोजन पदाधिकारी (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा (वि.सं. 39/2009)** अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना अनुक्रमांक, नाम एवम् पूरा पता अंकित करें।

(ii) **16×10 से.मी. का स्वपता लिखित दो लिफाफा (पावती एवं प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिसपर 25–25 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।**

4. <u>आरक्षण</u>:

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।**

5. <u>शुल्क</u>:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 75/– (पचहत्तर) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 125/– (एक सौ पचीस) रूपये तथा अन्य के लिए 300/– (तीन सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 350/– (तीन सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाय। **चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें।**

6. अन्यः

(i) विहित आवेदन पत्र के साथ मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, विधि स्नातक प्रमाण पत्र एवम् अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र सहित) एवम् विकलांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें। सभी प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों की छायाप्रति पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हों।

(ii) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा।

7. अंतिम तिथिः

(i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि शुक्रवार, दिनांक 21.12.2012 की संध्या 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

परीक्षा नियंत्रक
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना